एम-12043/04/2015-एनआई

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था

(योजना समन्वय तथा प्रबंधन प्रभाग)

नीति आयोग, नई दिल्ली

24 मार्च, 2015

<u>आदेश</u>

विषयः स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में मुख्यमंत्रियों के उप-समूह के गठन में संशोधन।

दिनांक 9 मार्च, 2015 के समसंख्यक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में मुख्यमंत्रियों के उप-समूह का एतद्द्वारा निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता हैः

संघटन

क)	मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश	: संयोजक
ख)	मुख्यमंत्री, बिहार	: सदस्य
ग)	मुख्यमंत्री, दिल्ली	: सदस्य
घ)	मुख्यमंत्री, हरियाणा	: सदस्य
ङ)	मुख्यमंत्री, कर्नाटक	: सदस्य
च)	मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र	: सदस्य
छ)	मुख्यमंत्री, मिजोरम	: सदस्य
ज)	मुख्यमंत्री, सिक्किम	: सदस्य
झ)	मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल	: सदस्य
ञ)	मुख्यमंत्री, उत्तराखंड	: सदस्य
ट)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग	समन्वयक

उप-समूह को नीति आयोग की सेवाएं उपलब्ध होंगी।

2. उप-समूह के विचारार्थ विषय निम्नवत् होंगेः

i. स्वच्छ भारत मिशन के व्यापक कार्यान्वयन के लिए वित्तीय अपेक्षाओं की जांच करना और बजटीय जरूरतों को पूरा करने हेतु उपाय सुझाना;
ii. प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुदृढ़ संस्थागत तंत्रों की सिफारिश करना;

iii. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न घटकों हेतु प्रौद्योगिकीय सहायता के लिए उपायों की सिफारिश करना;
iv. स्वच्छ भारत मिशन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए मॉडलों की जांच करना तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी संगठनों की भागीदारी में पर्याप्त सुधार के लिए उपाय सुझाना;
v. स्वच्छ भारत मिशन को धारणीय बनाने के उपायों की सिफारिश करना;
vi. कोई अन्य उपाय।

3. सामान्य

क) चूंकि शासी परिषद् ने निर्णय लिया था कि इस उप-समूह में मुख्यमंत्रीगण होंगे, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर संबंधित मुख्यमंत्री चर्चाओं में शामिल होने में असमर्थ रहते हैं, तो ऐसे सदस्यों का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना अपेक्षित नहीं है। तथापि, उप-समूह की सहायता के लिए, संयोजक किसी भी संगठन के अन्य सरकारी/गैर-सरकारी विशेषज्ञ/प्रतिनिधि को सहयोजित कर सकता है।

ख) किसी भी सदस्य या किसी सहयोजित अधिकारी के मामले में, उप-समूह की बैठक के लिए यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते के मद में हुए व्यय का वहन संबंधित राज्यों/विभागों द्वारा किया जाएगा। किंतु, सहयोजित गैर-सरकारी व्यक्ति भारत सरकार के श्रेणी-I अधिकारियों के लिए स्वीकार्य यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते के पात्र होंगे जो यथाप्रयोज्य विमान यात्रा के मामले में इकनॉमी क्लास तक सीमित होगा तथा इस प्रकार हुआ व्यय नीति आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

ग) उप-समूह अपनी अधिसूचना के तीन माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

इसे प्रधानमंत्री तथा नीति आयोग के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

ह./-
(सिंधुश्री खुल्लर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नीति)

सेवार्थ,

उप-समूह के संयोजक तथा सभी सदस्य

प्रति निम्नांकित को भी सूचनार्थ:

1. नीति आयोग की शासी परिषद के सभी सदस्य
2. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
3. प्रधानमंत्री के निजी सचिव
4. नीति आयोग के उपाध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्य

ह./-

(सिंधुश्री खुल्लर)